



भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. Tour Programme/VC/29/2017/RU-III

दिनांक: 04-05-2018

सिटिंग नोटिस

विषय: मा. उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दिनांक 07/07/2017 से 09/07/2017 तक बिहार के किशनगंज जिले के दौरे में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के किशनगंज कैम्पस हेतु आदिवासियों को भूमि से बेदखल किये जाने पर मुआवजे के भुगतान एवं पुर्नवास के संबंध में स्थलीय जांच रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई बैठक ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)

2. सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 14-05-2018 को 02.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं राभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सेवा में,

1. सचिव,
राजस्व विभाग, बिहार सरकार,
पुराना सचिवालय, बैली रोड़,
पाटना -800015

2. कलेक्टर,
जिला - किशनगंज,
(बिहार)


(आर.के.दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष-24615012

3360/6/15/2018
जारी किया
ISSUED

प्रतिलिपि:

1. रामजी हेम्ब्रहम, जनजाति हितरक्षा प्रमुख, वनवासी कल्याण आश्रम, शीतला गली, सूतापट्टी, मुजफ्फरपुर बिहार - 842001।